

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प तिलवाड़ा

सूजारांम बनाम सरकार Rems.... 2018/01409

किरम मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं627..... सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.06.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी सूजारांम पुत्र नैनाराम ने अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत विप्रार्थी के विरुद्ध राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प तिलवाड़ा तहसील पचपदरा मे पेश किया जो विविध दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड गौजा तिलवाड़ा पटवार मण्डल तिलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 111 में अशुद्ध नाम चूना पुत्र नैना दर्ज है। जिसको सूजारांम पुत्र नैनाराम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध व सही दर्ज करने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी तिलवाड़ा तथा उप तहसीलदार जसोल की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुरार राजस्व रेकर्ड गौजा तिलवाड़ा की जमाबन्दी खाता संख्या 111 मे दर्ज अशुद्ध नाम चूना पुत्र नैना की जगह शुद्ध नाम सूजारांम पुत्र नैनाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।</p>	

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कैम्प तिलवाड़ा

आदेश:- 627/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की आयव तहसीलदार की अनुशासक के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तिलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2018-2019 में खाता संख्या 111 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	तिलवाड़ा	111	चूना वरुड बैना	सूनाशम वृधमैनाशम

(मागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प

दिनांक :- 14/6/18

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :- 1125-1126

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प